23.4.25

अधिवक्ता प्रार्थी / प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत पत्रावली तलब फरमाने पेश करने पर पत्रावली आज की पेशी में ली गयी। सरकार बनाम उप० प्रकरण से संबंधित मूल वाद अन्तर्गत धारा 117 रा०टी० एक्ट बाबगस्त आराजी का भू-रूपान्तरण हो जाने के कारण खारिज किया जा चुका है। इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA भी औचित्यहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली मूलत शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर जयपुर